क्रम-संख्या–222(ङ)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 17 नवम्बर, 2022 ई0
(कार्तिक 26, 1944 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश, शासन

ऊर्जा विभाग

[ऊर्जा (नि०नि०) प्रकोष्ठ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

अधिसूचना संख्या यू०पी०ई०आर०सी०/सचिव/विनियमावली/2022-561

लखनऊ, दिनांक : 17 नवम्बर, 2022 ई0

अधिसूचना

यू0पी0ई0आर0सी0 (दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा) विनियमावली, 2022

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 51 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं धारा 181 (ण) एवं (म) के साथ पठित तथा इस संबंध में सक्षम अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतदद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है अर्थात्:–

1. संक्षिप्त शीर्षक, कार्यक्षेत्र, विस्तार और प्रारंभ :–

1.1 इस विनियमावली को ''उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग (दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा) विनियमावली, 2022'' कहा जा सकता है।

1.2 ये विनियमावली पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होंगे और राज्य में बिजली के वितरण और आपूर्ति के कारोबार में लगे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/फ्रेंचाइजी पर लागू होंगे।

1.3 ये विनियमावली सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएँ और व्याख्याएँ :–

2.1 शब्द, नियम और अभिव्यक्तियॉ जैसा कि अधिनियम में पारिभाषित है, अथवा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (बाद में ''प्राधिकरण'' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा नियमों में, समय-समय पर संशोधित और दूरसंचार नेटवर्क, 2022 की सुविधा के लिए इन विनियमावली में प्रयुक्त, का वही अर्थ होगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अधिनियम या सुरक्षा नियमों में परिभाषित है।

2.2 उपरोक्त के अधीन, यहाँ प्रयुक्त अभिव्यक्तियां जो कि अधिनियम या सुरक्षा नियमों या इस विनियमावली में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, का अर्थ वही होगा जो आमतौर पर विद्युत उद्योग में दिया जाता है।

2.3 इस यू0पी0ई0आर0सी0 फैसिलिटेशन ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क रेगुलेशन, 2022 की व्याख्या में, जब तक कि संदर्भ में अन्य आवश्यक न हो–

(क) एकवचन या बहुवचन शब्द, जैसा भी मामला हो, में क्रमशः बहुवचन या एकवचन शब्द शामिल माना जाएगा,

(ख) किसी भी कानून, विनियमावली या दिशा निर्देशों के सन्दर्भ का अर्थ यह लगाया जाएगा कि इसमें ऐसे कानूनों, नियमों या दिशा निर्देशों को समेकित करने, संशोधित करने या बदलने के लिए सभी वैधानिक प्रावधान शामिल हैं, जैसा कि मामला हो सकता है,

(ग) इस विनियमावली के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच भिन्नता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

2.4 इन विनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''**अधिनियम**'' का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 है,

(ख) ''**आयोग**'' का अर्थ उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है।

(ग) ''**वितरण परिसंपत्तियां**: वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बिजली के खंभे, वितरण ट्रांसफार्मर, सरकारी भवन आदि जैसी वितरण संपत्तियां लेकिन 33 केवी लाइन पर तारों और खंभों/टावरों को छोड़कर।

(घ) ''**सकल राजस्व**'' दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा के संबंध में अर्थ है दूरसंचार नेटवर्क की ऐसी सुविधा से अनुज्ञप्तिधारी को अर्जित सकल राजस्व, लेकिन वित्तीय वर्ष में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिजली की आपूर्ति के मुख्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व नहीं,

(ई) ''**दूरसंचार/दुरसंचार कंपनी**'' कोई भी दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता शब्दों, आवाज, आडियो, छवि, वीडियो मोड, आदि में डेटा के प्रसारण में लगी है और दूरसंचार विभाग, भारत सरकार या दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त किसी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत है अथवा एक बुनियादी ढ़ांचा जिसके लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बिजली के खंभों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) लगाने की आवश्यकता होती है।

(च) ''**मीटरिंग तंत्र**'' दूरसंचार नेटवर्क द्वारा सारी बिजली की खपत जो वितरण संपत्तियों पर स्थापित है को स्मार्ट मीटर के माध्यम से स्थापना के बिन्दु पर मीटर किया जाएगा और ऐसी खपत की बिलिंग आपूर्ति संहिता के अनुसार स्थापना के बिन्दु के आधार पर की जाएगी।

(छ) ''**समझौता**'' दूरसंचार कंपनी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बीच, ऐसी वितरण संपत्तियों पर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए, किराए पर लेने और संबंधित सेवाओं के लिए समझौता।

3. अन्य व्यवसाय की सूचना :–

3.1 वितरण लाइसेंसधारी अपनी वितरण संपत्तियों पर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के बारे में आयोग को सूचित करेगा और एआरआर के माध्यम से वार्षिक आधार पर ऐसी गतिविधियों से प्राप्त आय को आयोग को सूचित करेगा। इस विनियमावली के खंड के अनुसार सूचना देते समय अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा –

I. अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संपत्तियों के उपयोग की प्रकृति और सीमा, जो दूरसंचार व्यवसाय के लिए उपयोग की जाती हैं या उपयोग करने के लिए प्रस्तावित हैं।

II. लाइसेंस व्यवसाय के कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी की क्षमता पर संपत्ति और सुविधाओं के इस तरह के उपयोग का प्रभाव यदि कोई हो

III. दूरसंचार कंपनी को वितरण संपत्तियों को किराए पर देने से प्राप्त अथवा अनुमानित वार्षिक राजस्व आय एआरआर में अलग से परिलक्षित करेगा।

IV. वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण परिसम्पत्तियों को किराए पर देने तथा संबंधित सेवाओं से उत्पन्न राजस्व के लिए ऑडीटर से प्राप्त प्रमाण–पत्र, ट्रू–अप हेतु टैरिफ याचिका के साथ प्रस्तुत करेगा।

V. आयोग द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विवरण।

3.2 यदि दूरसंचार कंपनी का केबल वितरण अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियों के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है तो प्रत्येक दूरसंचार कम्पनी को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रति मीटर लम्बाई में केबल का कलर कोड, आकार और वजन अनुमोदित कराना होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी दुरसंचार कंपनी के केबल एवं अपनी लाइनों के बीच बनाए रखी जाने वाली समाशोधन दूरी को भी इंगित करेगा। इसी तरह 5जी सहित वायरलेस नेटवर्क के मामले में टेलीकॉम टावर या उपकरण के लिए पोल के इंसुलेटर से सेफ्टी क्लीयरेंस बनाए रखना होगा।

3.3 अनुज्ञप्तिधारी की यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी होगी कि दूरसंचार उद्देश्यों के लिए लाइसेंसीकृत व्यवसाय की संपत्ति और सुविधाओं का उपयोग किसी भी तरह से दायित्वों के प्रदर्शन या लासेंसधारी से अपेक्षित आवश्यक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित नही करेगा, जिसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमावली , 2010, यूपीईआरसी (प्रदर्शन के मानक विनियमावली) 2019, विद्युत आपूर्ति संहिता, या आयोग की किसी अन्य विनियमावली एवं ऐसा कोई भी उपयोग पूरी तरह से अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम पर होगा।

4. सकल राजस्व का निरूपण :–

4.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी 5जी नेटवर्क सहित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए अपनी वितरण संपत्तियों को किराए पर दे सकता है और दूरसंचार कंपनी को संबंधित सेवाएं प्रदान कर सकता है।

4.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी दूरसंचार कंपनी के साथ अपने आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर परस्पर सहमत अवधि के लिए किराये और संबंधित सेवाओं के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जिसे वितरण संपत्तियों पर 5जी नेटवर्क को सम्मिलत करते हुये दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए दूरसंचार कंपनी के लाइसेंस की अवधि से अधिक न होने वाली परस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि इस तरह के समझौते में तीन साल में कम से कम एक बार किराया शुल्क में संशोधन का प्रावधान होना चाहिए।

4.3 वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए 5जी नेटवर्क अवसंरचना सहित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना हेतु एक विशेष दूरसंचार कंपनी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्तर पर उसकी कुल वितरण संपत्ति के 50% से अधिक तक पहुंच प्राप्त नहीं कर पाये ताकि प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग को रोकने के लिए की जा सके।

4.4 दूरसंचार कंपनियों को वितरण परिसंपत्तियों का आवंटन एक पारदर्शी प्रक्रिया/तंत्र के माध्यम से किया जाएगा।

4.5 MYT टैरिफ विनियमावली के तहत दिए गए वर्गीकरण के अनुसार संबंधित टैरिफ आदेश में गैर–टैरिफ आय के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वितरण संपत्ति के किराये और संबंधित सेवाओं से आय का दावा किया जाएगा।

4.6 किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में वितरण संपत्तियों को किराए पर देने और संबंधित सेवाओं से दूरसंचार कंपनी से प्राप्त सकल राजस्व से 30% के बराबर राशि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखी जाएगी, जबकि शेष 70% को गैर-टैरिफ के रूप में एआरआर में मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन के तहत दिए गए वर्गीकरण के साथ शामिल किया जाएगा।

4.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ट्रू-अप के समय टैरिफ याचिका के साथ-साथ वितरण परिसम्पत्तियों को किराए पर देने और संबंधित सेवाओं से उत्पन्न सकल राजस्व के लिए ऑडीटर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

4.8 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय :

- अपनी संपति को किराए पर देने के परिणामस्वरूप अपनी खुद की लाइसेंसशुदा गतिविधि करने के लिए इसके उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध क्षमता की कमी न हो।
- अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति की सुरक्षा से समझौता न किया जाए।
- इसकी संपत्तियों को किराए पर देने से दायित्वों के प्रदर्शन एवं प्रदर्शन के मानक विनियमावली, विद्युत आपूर्ति संहिता, या समय-समय पर संशोधित आयोग के किसी अन्य विनियमावली को सम्मिलत करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षित आवश्यक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित न करे।

5. दूरसंचार कंपनी को बिजली संयोजन :–

5.1 यदि 5G नेटवर्क अवसंरचना सहित ऐसे दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा के लिए विद्युत संयोजन की आवश्यकता है, तो वितरण संपत्तियों की स्थापना के बिंदु पर दूरसंचार कंपनी को अलग से बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

प्रतिबंध यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सुविधा के आधार पर एक वितरण प्रभाग के भीतर सभी वितरण संपत्तियों के लिए संयोजन अनुबंध पर सामूहिक रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि, संयोजन अनुबन्ध में लोकेशन कोऑर्डिनेट या जीपीएस लोकेशन या पोल नंबर या डीटी नंबर या एक डिवीजन के भीतर एक टेलीकॉम कंपनी को आवंटित सब-स्टेशन का नाम शामिल होगा।

5.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण परिसम्पत्तियों पर संस्थापित दूरसंचार नेटवर्क द्वारा समस्त विद्युत खपत की मीटरिंग स्थापना स्थल पर स्मार्ट मीटर के माध्यम से की जायेगी तथा ऐसी खपत की बिलिंग भी स्थापना स्थल पर की जायेगी क्योंकि प्रत्येक बिन्दु पर अलग-अलग संयोजन जारी किये जायेंगे। हालांकि, बिलिंग और संग्रहण की सुविधा के लिए किसी वितरण प्रभाग या समतुल्य के भीतर किसी विशेष दूरसंचार लाइसेंसधारी के सभी कनेक्शनों का समेकित बिल, कनेक्शन वार विवरण के साथ उत्पन्न किया जा सकता है। कनेक्शन और मीटर की लागत दूरसंचार कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।

5.3 ऐसे विद्युत संयोजन या विद्युत के उपयोग से उत्पन्न राजस्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी की टैरिफ आय का हिस्सा होगा।

6. आयोग की निहित शक्तियाँ :–

6.1 इन विनियमावली से कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो ऐसे आदेश देने के लिए आयोग की शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करता है जो कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

6.2 इन विनियमावली में कुछ भी आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया को अपनाने से नहीं रोकेगा, जो इन विनियमावली के किसी भी प्रावधान के साथ भिन्न हो, यदि आयोग, किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग को तय करने के लिए इसे उचित या समीचीन समझता है।

6.3 इन विनियमावली में कुछ भी स्पष्ट रूप से या निहित नहीं है, जो आयोग को किसी भी मामले से निपटने या अधिनियम के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है, जिसके लिए कोई विनियमावली नहीं बनायी गई है, और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कार्यों से इस तरह से निपट सकता है, जैसा कि वह उचित एवं उचित मानता है।

7. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :–

यदि इन विनियमावली के किसी भी प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जैसा कि कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन समझा जाए।

8. संशोधन करने की शक्ति :–

आयोग, किसी भी समय अधिसूचना द्वारा इस विनियमावली के किसी भी प्रावधान को बदल, परिवर्तन अथवा संशोधित कर सकता है।

9. शास्ति :–

उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ) विनियमावली 2019 में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, गैर-टैरिफ आय का निरूपण, दूरसंचार नेटवर्क की सुविधा के लिए वितरण संपतियों को किराए पर देने से प्राप्त किराये के रूप में आय इस विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार शासित होगी ।

आयोग के आदेशानुसार,
संजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग,
लखनऊ।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

No. UPERC/Secy./Regulation/2022/561

Lucknow: dated November 17, 2022

NOTIFICATION

UPERC (FACILITATION OF TELECOMMUNICATION NETWORK) REGULATIONS, 2022.

In exercise of the power conferred on it by Section 51 read with Section 181(o)and (y) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling in this behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations namely :–

1. Short Title, Scope, Extent and Commencement :–

1.1. These Regulations may be called the "UP Electricity Regulatory Commission (Facilitation of Telecommunication Network) Regulations, 2022.

1.2. These Regulations shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh and shall apply on the Distribution Licensees/Franchisees engaged in the business of distribution and supply of electricity in the State.

1.3. These Regulations shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Definitions and Interpretations :–

2.1. Words, terms and expressions defined in the Act, or Safety Rules as specified by the Central Electricity Authority (hereinafter referred to as "Authority"), as amended from time to time and used in these regulations for the Facilitation ofTelecommunication Network, 2022, shall have and carry the same meaning as defined and assigned in the said Act and/or Safety Rules as specified by theAuthority;

2.2. Subject to the above, expressions used herein but not specifically defined in the Act or Safety Rules or in this Regulation shall have the meaning as is generally assigned in the electricity industry.

2.3. In the interpretation of this UPERC Facilitation of Telecommunication Network Regulations, 2022, unless the context otherwise requires :

(a) Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term respectively;

(b) References to any statutes, Regulations or guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such statutes, Regulations or guidelines, as the case may be, referred to;

(c) In case of variance between English and Hindi versions of these Regulations, English version shall prevail.

2.4. In these Regulations, unless the context otherwise requires-

(a) "**Act**" means the Electricity Act, 2003;

(b) "**Commission**" means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.

(c) **"Distribution Assets":** Distribution assets such as electric poles, distribution transformers, official buildings etc. of distribution licensee but excluding wires and the poles / towers on 33 kV line.

(d) **"Gross revenue"** in respect of facilitation of telecommunication network means the gross revenue accrued to licensee from such facilitation of telecommunication network but not the revenue from the core business of supply of electricity by the distribution licensee a financial year;

(e) **"Telecommunication/ telecom Company"** Any telecom infrastructure provider engaged in transmission of data in words, voice, audio, image, video mode, etc. and registered with the Department of Telecommunications, Government of India or any telecom services provider licensed from the Department of Telecommunication, Government of India or an infrastructure that requires laying Optical Fibre Cable (OFC) on the electrical poles of distribution licensee.

(f) **"Metering Mechanism"** All electricity consumption by telecommunication network of Telecom Companies installed on distribution assets shall be metered at the point of installation through a Smart Meter and billing of such consumption shall be done on point of installation basis as per supply code.

(g) **"Agreement"** Agreement for rental and related services signed between telecom company and distribution licensee for installation of telecommunication network on such distribution assets.

3. Intimation of other business :–

3.1. A distribution licensee shall inform the Commission regarding installation of telecommunication network on its distribution assets and income derived fromsuch activities on annual basis through ARR. While giving information in terms of Clause of this regulation, the licensee shall furnish the following details -

I. The nature and extent of the use of distribution assets of licensee, which are utilized or proposed to be utilized for telecommunication business.

II. The impact, if any, of such use of assets and facilities on the ability of the licensee to carry out the duties and obligations of the licensed business.

III. Annual revenue income derived or estimated to be derived from renting of distribution assets to telecommunication company reflected separately in the ARR.

IV. The Distribution licensee shall submit certificate from the auditor for the revenue generated from the renting and related services of distribution assets along with the Tariff Petition for true-up.

V. Any other details required by the Commission.

3.2. Every telecom company shall get the color code, size and weight of cable per meter length approved by the distribution licensee if the cable of telecom company is being extended through the assets of distribution licensee. The distribution licensee shall also indicate the clearing distance to be maintained between its lines & cable of the telecom company. Similarly for telecom towers or equipment in case of wireless network including 5G, the safety clearance from the insulator of the pole will have to be maintained.

3.3. The Licensee shall have the absolute responsibility to ensure that the utilization of the assets and facilities of the Licensed Business for telecommunication purposes shall not in any manner affect the performance of the obligations or the quality of service required from the Licensee including as specified under Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, UPERC (Standards of Performance Regulations) 2019, Electricity Supply Code, or any other Regulation of the Commission and that any such utilization shall be entirely at the risk of the Licensee.

4. Treatment of Gross Revenue :–

4.1. Distribution licensee can rent out its distribution assets and provide related services to telecommunication company for installation of telecommunication network including 5G network.

4.2. The Distribution licensee shall sign a rental and related services agreement with the Telecom company within its area of supply for a mutually agreeable period, which may be extended on mutually agreed terms not exceeding the tenure of license of Telecom company, for installation of telecommunication network, including 5G network on its distribution assets.

Provided that such agreement needs to have provision for revision of rental charges at least once in three years.

4.3. Distribution licensee shall ensure that a particular telecom company for providing telecommunication services does not get access of more than 50% of its total distribution assets at the level of distribution licensee for installation of telecommunication network including 5G network infrastructure to deter the abuse of dominant position.

4.4. The assignment of distribution assets to telecom companies will be done through a transparent process/mechanism.

4.5. Income from renting & related services of distribution assets shall be claimed by distribution licensee towards non-tariff income in respective tariff order in accordance with the classification given under MYT Tariff Regulations.

4.6. An amount equal to 30% from the Gross Revenue as received from the telecommunication company from renting & related services of distribution assets, in a given financial year shall be retained by the distribution licensee whereas, the remaining 70% shall be included as non-tariff income of corresponding ARR with the classification given under Multi Year Tariff Regulation.

4.7. The Distribution licensee shall submit certificate from the auditor for the Gross Revenue generated from the renting and related services of distribution assets along with the Tariff Petition at the time of truing up.

4.8. The Licensee shall ensure that at no point of time:

- Renting of its assets result in lack of available capacity for its consumers- to carry out its own licensed activity.
- The safety of the assets of the licensee is compromised.
- Renting of its assets affect the performance of the obligations or the quality of service required from the Licensee including as specified under Standards of Performance Regulations, Electricity Supply Code, or any other Regulation of the Commission as amended time to time.

5. Electricity Connection to telecommunication company :–

5.1. In case electricity connection is required for facilitation of such telecommunication network including 5G network infrastructure, separate Electricity connection shall be given to the telecommunication company at the point of installation of distribution assets.

Provided that the connection agreement can be signed collectively for all the distribution assets within a distribution division depending upon the convenience of distribution licensee. However, the connection agreement will entail the location coordinates or GPS location or pole number or DT number or name of sub-station allotted to a telecom company within a division.

5.2. All electricity consumption by telecommunication network installed on distribution assets of the distribution licensee shall be metered at the point of installation through a Smart Meter and the billing of such consumption shall also be done at the point of installation as individual connections are be released on each point of installation. However, the Consolidated bill of all the connections of a particular Telecom licensee within a distribution division or equivalent, can be generated with connection wise details for convenience of billing & collection. The cost of the connection and meter shall be borne by the telecom company.

5.3. The revenue generated from such Electricity connection or use of electricity shall from part of the Tariff income of Distribution Licensee.

6. Inherent power of the Commission :–

6.1. Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice.

6.2. Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with provisions of the Act, a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or a class of matters, deems it just or expedient for deciding such matter or class of matters.

6.3. Nothing in these Regulations shall, expressly or implied, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner, as it considers just and appropriate.

7. Power to remove difficulties :–

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, give directions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing difficulties.

8. Power to Amend :–

The Commission may, at any time vary, alter, modify, or amend by notification any provision of these Regulations.

8. Savings :–

Notwithstanding anything contained in UPERC (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission) Regulations 2019, the treatment of non-tariff income, in form of rentals derived from renting of distribution assets for facilitation of telecommunication network, shall be governed in accordance with the provisions of this Regulation.

By the order of the Commission,
SANJAY KUMAR SINGH,
Secretary,
U. P. Electricity Regulatory Commission.

पी0एस0यू0पी0-24 असाधारण गजट-19.12.2022-152 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।